फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 04.07.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 220/26 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 35(1)/106(1) बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 चोरी की मोटरसाईकिल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त हैप्पी कुमार पुत्र रामकिसन नि0 शाप नं0 186 न्यू अनाज मण्डी वार्ड नं0 सुनाम थाना सिटी सुनाम जनपद सगरूर पंजाब हाल निवासी एकता कालोनी एसयूएस कालेज के पीछे सुनाम थाना सिटी जनपद सगरूर, पंजाब को 01 चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

हैप्पी कुमार पुत्र रामकिसन नि0 शाप नं0 186 न्यू अनाज मण्डी वार्ड नं0 सुनाम थाना सिटी सुनाम जनपद सगरूर पंजाब हाल निवासी एकता कालोनी एसयूएस कालेज के पीछे सुनाम थाना सिटी जनपद सगरूर, पंजाब।

घटना का विवरण- दिनांक 04.07.2026 को कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान ताजपुर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ से आ रहे एक मोटरसाईकिल सवार को चैकिंग हेतु रोका जिसकी मोटरसाईकिल पर नम्बर प्लेट नही थी मोटरसाईकिल सवार से मोटरसाईकिल का नम्बर व मोटरसाईकिल के स्वामी के बारे मे पूछा गया तो मोटरसाईकिल सवार सकपकाने लगा। कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 03.07.2026 को सुबह के समय मैने यह मोटरसाइकिल बेवर जनपद मैनपुरी से चुराई थी। जिसके बाद कोतवाली मोहम्दाबाद पुलिस द्वारा ई-चालान ऐप के माध्यम से उक्त गाडी के वाहन स्वामी की जानकारी की गई जो कि बेवर जनपद मैनपुरी के रहने वाले है तथा ई चालान एप से वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया कि मै ही उक्त वाहन का स्वामी हूं तथा दिनांक 03.07.2026 को मेरी मोटरसाइकिल घर के बाहर खडी थी,जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था,जिसकी सूचना वाहन स्वामी द्वारा थाना बेवर जनपद मैनपुरी मे दी गई थी। गिरफ्तारी व चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0स0 220/26 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 35(1)/106(1) बीएनएसएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं खिमसेपुर दोस्त के यहां शादी में आया हुआ था घूमता हुआ बेवर पहुंच गया जहां दिनांक 03.07.2026 को सुबह करीब 3.00 बजे मैने यह पल्सर मोटरसाईकिल काजी टोला बेवर मैनपुरी से चुरायी थी आज मैं इसे लेकर फर्रूखाबाद की तरफ होता हुआ घर जा रहा था तभी पुलिस ने पकड लिया। माफी माँगते हुए शेष अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटर साईकिल बजाज पल्सर 125 सी.सी.

अभियुक्त हैप्पी कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 220/26 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 35(1)/106(1) बीएनएसएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2.अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी
2.उ0नि0 श्री हरीश कुमार
3.का0 शेखर कटारिया
4.का0 वीरेन्द्र कुमार
5.रि0का0 मोहित

मीडिया सेल फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दिनांक-04.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त आनन्द शाक्य पुत्र राधेश्याम निवासी भुपत नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 198/2017 वाद संख्या 63/2017 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 04.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एडीजीसी - श्री तेज सिंह

एडीजीसी - श्री विकास कटियार

का0 मो0 हे0 का0 राजेश कुमार

पैरोकार – का0 गुलाम गौस